बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

पत्रांक:-भवन/सू0अ0-80/2023.......7369 (अ)......./

प्रेषक,

साहेब चन्द्र पंडित
सरकार के अवर सचिव-सह-
लोक सूचना पदाधिकारी
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव, प्रभारी राजपत्रित प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग
उप सचिव, प्रभारी अराजपत्रित प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग
सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग
अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0) भवन निर्माण विभाग

पटना दिनांक- 12/9/23

विषय:- **सूचना का अधिकार, 2005 की धारा-4 के क्रियान्वयन के संबंध में।**

प्रसंग:- **जिलाधिकारी, पटना का पत्रांक-1082 दिनांक-4.07.2023 एवं समाहरणालय पटना (लोक सूचना कोषांग) पटना का पत्रांक-1195 दिनांक-28.07.2023 एवं पत्रांक-1348 दिनांक-24.08.2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत(1)(b) में वर्जित सभी 17 (सतरह) बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना उपलबध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 का क्रियान्वयन एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन तथा प्रत्येक वर्ष अद्यतन कराया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में प्राप्त पत्र तथा अनुवर्ती विभिन्न पत्रों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के क्रियान्वयन एवं सभी विभागीय आदेश/कागजात को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं उन्हें अद्यतन कराये जाने संबंधी प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

12/9/23

(साहेब चन्द्र पंडित)
सरकार के अवर सचिव-सह-
लोक सूचना पदाधिकारी
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

समाहरणालय, पटना
(लोक सूचना कोषांग)

Email-dmrti-patna-bih@gov.in

पत्रांक– 1348 /लो0सू0को0, पटना, दिनांक 24/8/23

प्रेषक,

सुश्री डेजी ईरानी, (बि0प्र0से0)
प्रभारी पदाधिकारी,
लोक सूचना कोषांग, पटना

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
जिला शस्त्र शाखा/मानवाधिकार कोषांग/जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय/जिला नजारत शाखा/जिला निर्वाचन शाखा/जिला विकास शाखा/जिला भू-अर्जन शाखा/जिला सामाजिक सुरक्षा शाखा/जिला दिव्यांगजन कोषांग/जिला कल्याण शाखा/नयाचार शाखा/जिला नियंत्रण कक्ष/सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन/सचिवालय कोषागार, विकास भवन/नागरिक सुरक्षा शाखा/जिला खनन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय/सभी प्रखण्ड कार्यालय (सम्पतचक को छोड़कर)/सभी अंचल कार्यालय (दनियावां को छोड़कर)/अवर निबंधन कार्यालय, फुलवारीशरीफ, पटना सिटी एवं दानापुर/जिला निबंधन कार्यालय/जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र/सेवा शिकायत निवारण कार्यालय/जिला परिषद/मद्य निषेध कार्यालय/जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय/जिला सांख्यिकी कार्यालय/जिला उद्यान कार्यालय/जिला कृषि कार्यालय/उप श्रमायुक्त कार्यालय/द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, लोक शिकायत निवारण कार्यालय/मु0 जन शिकायत कोषांग/जिला पशुपालन कार्यालय/उप कारा, बाढ़, मसौढ़ी एवं पटना सिटी

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के क्रियान्वयन के संबंध में।**

प्रसंगः– **जिलाधिकारी, पटना का पत्रांक–1082, दिनांक–04.07.23 एवं इस कोषांग का पत्रांक–1195, दिनांक–28.07.23**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रांकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1) (b) में वर्णित सभी 17 (सतरह) बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना इस कोषांग में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो आपके कार्यालयों से अबतक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 का कियान्वयन एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन तथा प्रत्येक वर्ष अद्यतन कराया जाना अनिवार्य है।

अतः पुनः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(b) में वर्णित सभी 17 (सतरह) बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना 07 (सात) कार्य दिवस के भीतर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि प्राप्त सूचनाओं को जिला के वेबसाईट पर अद्यतन कराया जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 का क्रियान्वयन सभी लोक प्राधिकारों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रभारी पदाधिकारी,
लोक सूचना कोषांग, पटना

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना ;

(ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ड) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ढ) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर,—

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा :

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध—(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,—